आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

04
21.06.2023

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 46 /2022–23

राज्य

बनाम

भोलू उर्फ बाबा मुस्तफा उर्फ आशिक, पिता काला बाबा उर्फ मो० आशिक निवासी हिन्दपीढ़ी शिवाजी चौक, नियर छाता मस्जिद थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला– रॉंची (झारखण्ड) ....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 489/डी०सी०बी० दिनांक 09.05.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी भोलू उर्फ बाबा मुस्ताफा उर्फ आशिक, पिता काला बाबा उर्फ मो० आशिक निवासी हिन्दपीढ़ी शिवाजी चौक, नियर छाता मस्जिद थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला– रॉंची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. हिन्दीढ़ी थाना काण्ड सं0–42/17 दिनांक– 10.07.2017 धारा 147/148/149/341/323/325/379/296/295। भा०द०वि०।
2. लोअर बाजार थाना काण्ड सं0–49/22 दिनांक – 29.03.2022 धारा–25 (1–बी) /26/27/35 आर्म्स एक्ट
3. हिन्दपीढी थाना काण्ड सं0–43/22 जिनांक 30.04.2022 धारा–386/387/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
4. हिन्दपीढी थाना सन्हा सं0– 19/23 दिनांक–21.04.2023

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

5. हिन्दपीढ़ी थाना सन्हा सं0– 31/23 दिनांक–23.04.2023

6. हिन्दपीढी थाना काण्ड सं0 32/23 दिनांक 26.04.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक–981/2023, दिनांक– 30.04.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि भोलू उर्फ बाबा मुस्ताफा उर्फ आशिक, पिता काला बाबा उर्फ मो० आशिक निवासी हिन्दपीढ़ी शिवाजी चौक, नियर छाता मस्जिद थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला– राँची एक सकिय अपराधकर्मी है। ये वर्त्तमान मे जेल से बाहर है। ये अपने सहयोगियो के साथ मिलकर आये दिन धमकी रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देते हैं । छोटे बड़े दुकानदारो व्यवसायियों से रंगदारी वसुल रहे है रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है तथा नशा पान करने के लिए चाकू दिखाकर छोटे छोटे दुकानदारों से रंगदारी वसुली की जाती है जिससे हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र के निवासी व्यवसायियों दुकानदारों एवं ठेकदारों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग जान गवाने के डर से थाना पर इसकी सूचना नहीं देते है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार –विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप झुठे एवं बेबुनियाद है। वे किसी भी अपराध या असमाजिक गतिविधियों मे शामिल नही है। वर्त्तमान मे विपक्षी वैधिक साधनो द्वारा अपना जीवनयापन कर रहे है। इनके खिलाफ मात्र तीन वाद लंबित है, जिसमे से दो वाद एक ही घटना से संबंधित है। वे ना तो घटना स्थल से गिरफ्तार किये गये ना ही उनके पास से कुछ भी बरामदगी ही की गई हुई है। विपक्षी उनके खिलाफ लगाई गई

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

किसी भी शर्त्त का पालन करने के लिए तैयार है ।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा छोटे बड़े दुकानदारो व्यवसायियों से रंगदारी वसुल करना है रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देना है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इनके द्वारा दायर कारण पृच्छा संतोषप्रद नही है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण रखने के निमित अपराधकर्मी भोलू उर्फ बाबा मुस्ताफा उर्फ आशिक, पिता काला बाबा उर्फ मो० आशिक निवासी हिन्दपीढ़ी शिवाजी चौक, नियर छाता मस्जिद थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला– राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी भोलू उर्फ बाबा मुस्ताफा उर्फ आशिक, पिता काला बाबा उर्फ मो० आशिक निवासी हिन्दपीढ़ी शिवाजी चौक, नियर छाता मस्जिद थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला– राँची को दिनांक 26.06.2023 से दिनांक 25.09.2023 तक की अवधि के लिए हिन्दपीढ़ी थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 25.06.2023 तक संबधित थाने में दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 26.06.2023 से 25.09.2023 तक प्रत्येक रविवार हिन्दपीढ़ी थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी भोलू उर्फ बाबा मुस्ताफा उर्फ आशिक, पिता काला बाबा उर्फ मो० आशिक निवासी हिन्दपीढ़ी शिवाजी चौक, नियर छाता मस्जिद थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची अपनी

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति भोलू उर्फ बाबा मुस्ताफा उर्फ आशिक, पिता काला बाबा उर्फ मो० आशिक निवासी हिन्दपीढ़ी शिवाजी चौक, नियर छाता मस्जिद थाना–हिन्दपीढ़ी, जिला–राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 13:25:25 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d